शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–12 /2018/1046/84-1-2018-14बामा/2012

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2018

विषय:– प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों / लोकवाणी केन्द्रों/ जनसुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा विधिक माप विज्ञान की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनसामान्य को पारदर्शी, किफायती एवं सहज सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है।

1- वर्तमान में विधिक माप विज्ञान विभाग की कुल 13 सेवाएं जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तगर्त आच्छादित है, जिनमें से निम्नलिखित 07 सेवाएं पूर्व से ही विभागीय पोर्टल " http://legalmetrology-up.gov.in " पर ऑनलाइन कर ' निवेशमित्र- सिंगल विन्डों पोर्टल ' से समेकित कर दी गयी है। इन सेवाओं हेतु सम्बन्धित पोर्टल " http://niveshmitra.up.nic.in/" के माध्यम से आवेदन किये जा सकते हैं-

(1) बांट- माप के निर्माण हेतु विनिर्माता अनुज्ञा-पत्र निर्गमन।

Issue of licence to the manufacturer of weights & measures.

(2) बांट माप के उपकरणों के विक्रय हेतु व्यवहारी अनुज्ञा-पत्र निर्गमन।

Issue of licence to the Dealer of weights & measures.

(3) बांट माप के मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता अनुज्ञा-पत्र निर्गमन।

Issue of licence to the Repairer of weights & measures.

(4) बांट माप विनिर्माता अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण।

Renewal of Manufacturer Licence of Weights & measures.

(5) बांट माप के व्यवहारी अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण।

Renewal of Dealer Licence of weights & measures.

(6) बांट माप मरम्मतकर्ता अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण।

Renewal of Repairer Licence of Weights & measures.

(7) डिब्बाबन्द वस्तुओं के निर्माता/ पैकर के नाम व पते का पंजीयन।

Registration of Name and Address of Manufacturer/Packer of Packaged Commodities.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्त के अतिरिक्त विधिक माप विज्ञान विभाग की जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित शेष निम्न 6 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है-

(1) कार्यालय/ शिविर कार्यालय में बांट माप का सत्यापन/ पुन: सत्यापन।

Verification/re-verification of weights and measures in the office/Camp Office.

(2) पेट्रोल/ डीजल पम्प का यथास्थान सत्यापन/पुन: सत्यापन।

Verification/ re-verification of Petrol Pumps in-situ i.e., at its location .

(3) फ्लोमीटर (प्रवाह मीटर) का यथास्थान सत्यापन/ पुन: सत्यापन।

Verification/ re-verification of Flow meters in-situ i.e., at its location .

(4) आटो रिक्शा / टैक्सीमीटर का सत्यापन / पुन: सत्यापन।

Verification/ re-verification of Auto Rickshaw/taxi fare meters .

(5) सी0 एन0 जी0 / एल0 पी0 जी0 डिस्पेंसिंग पम्प का यथास्थान सत्यापन / पुन: सत्यापन

Verification/ re-verification of CNG/ LPG Dispensing Pumps in-situ i.e., at its location .

(6) स्टोरेज टैंक का सत्यापन / पुन: सत्यापन मुद्रांकन।

Verification/ re-verification Storage tanks in-situ i.e., at its location.

3- विधिक माप विज्ञान विभाग की चयनित सेवाओं को ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों / लोकवाणी केन्द्रों/ जनसुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के शासनादेशानुसार लिए जायेंगे।

4- नागरिकों द्वारा सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करने की स्थिति में उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

5- आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकृत ऑपरेटर द्वारा ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विधिक माप विज्ञान विभाग के पोर्टल पर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा तथा एतद्पश्चात विभाग द्वारा सूचित फीस को आवेदक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रियानुसार विभागीय लेखाशीर्षक में ऑनलाइन जमा कराया जायेगा।

6- विधिक माप विज्ञान विभाग की चयनित सेवाओं को ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेशन के पश्चात सभी संबधित स्टेक होल्डर द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

7- यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइंट यथा जन सेवा केन्द्र/ लोकवाणी केन्द्रों/ जनसुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही यथा इंटीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

8- आवेदक को जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटरसे अनुरोध करना होगा । तदोपरांत केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिए प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा उसी तरह से प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहें है।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियॉ शीर्ष- प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–12 /2018/1046/84-1-2018-14बामा/2012 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।
6- एस0आई0ओ0 योजना भवन, लखनऊ।
7- हेड एन0आई0सी0, योजना भवन, उ0प्र0।
8- हेड एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
9- गार्ड फाईल।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।